सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू

पीठासीन अधिकारी : सुश्री श्वेता कोचर आर0ए0एस0

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
38/2017	धारा 212 RTA	13.09.2017	28.12.2017

1. बतूलबानो पत्नी यासीन खां जाति कायमखानी निवासी पीथीसर तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. अलताफ खां पुत्र यासीन खां जाति कायमखानी नाबालिग जरिये माता बतूलबानो पत्नी यासीन खां जाति मुसलमान निवासी पीथीसर तहसील व जिला चूरू (राज.)

—प्रार्थीगण—

बनाम

1. मुश्ताक खां पुत्र अहमदअली खां जाति कायमखानी निवासी पीथीसर तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू
3. उप पंजीयक कार्यालय, चूरू जरिये उप पंजीयक, चूरू

—अप्रार्थीगण—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थितः— 1. अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ प्रार्थीगण
2. अधिवक्ता श्री हसन खान अप्रार्थी सं. 1

आदेश

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त अनुवानी दावा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण उम्मीद है। गौण अप्रार्थीगण से अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है जिस कारण उन्हें प्रार्थना पत्र पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। यह कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 व गौण अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 551 तादादी 3.2248 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 660/586 तादादी 2.4029 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल तादादी 5.6277 हैक्टेयर वाके रोही पीथीसर तहसील व जिला चूरू में से प्रार्थी सं. 1 बतूलबानो का हिस्सा 41/3115 व प्रार्थी सं. 2 अलताफ खां का 111/3115 हिस्सा में स्थित चली आ रही है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी के नाम से दर्ज चली आ रही है। प्रार्थी सं. 2 नाबालिग होने से अपनी कुदरतीवली माता के जरिये उक्त दावा पेश किया जा रहा है। यह कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का मौखिक रूप से बंटवारा हो चुका है तथा जिसमें प्रार्थी सं. 1 बतूलबानो का हिस्सा 41/3115 व प्रार्थी सं. 2 अलताफ खां का 111/3115 हिस्सा चला आ रहा है। उक्त कृषि भूमि के नक्शा में दिखाये अनुसार प्रार्थीगण के हिस्सा की भूमि दक्षिणी—पूर्वी तरफ की है। जिस पर प्रार्थीगण सदामत से काबिज व काश्त करते चले आ रहे हैं। इसी भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 मुश्ताक खां कब्जा करने की

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

...से लगातार धमकियां दे रहा है कि उक्त प्रार्थीगण की हिस्से की जो कृषि भूमि है वह प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 1 मुश्ताक खां को दे दें अन्यथा मुश्ताक खां उक्त प्रार्थीगण के हिस्से की कृषि भूमि को जबरदस्ती अपने हिस्से में मिला कर कब्जे में ले लेगा व अन्य व्यक्तियों को विक्रय कर देगा। इस हेतु प्रार्थीगण के उक्त कब्जा अधिकार काश्त की कृषि भूमि को विक्रय करने के लिये अप्रार्थी सं. 1 मुश्ताक खां ने बाला बाला ग्राहक भी तैयार कर लिये हैं व अप्रार्थी सं. 1 कभी भी उक्त भूमि को विक्रय कर सकता है।

यह कि उक्त कृषि भूमियों में प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 में काफी विवाद हो गये हैं तथा वादगत कृषि भूमि का अभी तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। उक्त सम्पत्ति अविभाजित चली आ रही है। इस कारण हिस्साकसी को लेकर तथा सीमांकन को लेकर पक्षकारों में विवाद रहता है और भविष्य में विवाद बढ़ने का अन्देशा है तथा हिस्सेदार बढ़ने की भी सम्भावना है। इसलिए प्रार्थीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वो अपने हिस्से की कृषि भूमि की घोषणा करवा कर अपने हिस्से की कृषि भूमि का विधिवत विभाजन करवा कर अलग से ही खाता कायम करवा लेवें। यह कि प्रार्थीगण शान्तिप्रिय व्यक्ति हैं और वे अपने हिस्से की भूमि को शान्तिपूर्ण तरीके से कब्जे में रखना चाहते हैं लेकिन अप्रार्थी सं. 1 झगड़ालू किस्म का व्यक्ति है तथा प्रार्थीगण की कृषि भूमि को हड़पने की नीयत रखता है तथा प्रार्थीगण के कब्जा अधिकार में व्यवधान पहुंचाता है। यह कि अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थीगण के कब्जा एवं काश्त में बाधा डालता है तथा मारपीट करने को भी उतारू हो जाता है। उक्त कृषि भूमि को विक्रय करना चाहता है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थी सं. 1 को पाबन्द करवायें कि वह उक्त कृषि भूमि को रहन बैय मुन्तकिल नहीं करें ना विक्रय करे ना ही प्रार्थीगण के कब्जा एवं काश्त में किसी तरह की बाधा डाले न डलवाये। इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी प्रमाणित है तथा उनके हिस्से की कृषि भूमि पर प्रार्थीगण का ही कब्जा व काश्त होने से सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में है, अगर अप्रार्थीगण द्वारा उक्त कृषि भूमियों में से अपने हिस्से से बेदखल किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्तिनिय क्षति होगी।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ता फैसला दावा अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि वे विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 551 तादादी 3.2248 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 660/586 तादादी 2.4029 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल तादादी 5.6277 हैक्टेयर वाके रोही पीथीसर तहसील व जिला चूरू में से प्रार्थी सं. 1 बतूलबानों का हिस्सा 41/3115 व प्रार्थी सं. 2 अलताफ खां का 111/3115 हिस्सा में अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थीगण के कब्जा एवं काश्त में किसी तरह की बाधा नहीं डाले, ना डलवाये, ना उसे रहन, बैय, मुन्तकिल या विक्रय करे। ऐसा कोई कार्य या उपकार्य नहीं करे जो प्रार्थीगण के हितों के खिलाफ हो व अन्य कोई अनुतोष जो हितकर प्रार्थीगण को या दौराने सुनवाई हो जावे वो भी प्रार्थीगण को अप्रार्थी सं. 1 से दिलावाया जावे।

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री हसन खान एडवोकेट एवं अप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से पैरोकार राज उपस्थित हुए।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात पेश किया जिसकी नकल वकील प्रार्थीगण को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ने अपने जवाब में अंकित किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 गलत एवं झूठ लिखी होने से लिखे अनुसार स्वीकार नहीं है अस्वीकार की जाती है। लेख है कि प्रार्थीगण द्वारा बिना किसी आधार के दावा पेश किया है जिसमें इन्हें सफलता मिलने की कतई सम्भावना नहीं है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 गलत एवं झूठ लिखी होने से लिखे अनुसार स्वीकार नहीं है अस्वीकार की जाती है। लेख है कि प्रार्थीगण द्वारा वर्णित खसरान भूमि में अपनी हिस्सा कृषि भूमि को अलग–अलग समय में जरिये बैनामा तथा ईकरारनामा विकय की जा चुकी है। गौण प्रतिवादीगण को जरिये पंजीकृत विकय पत्र विकय की गई थी इसलिए इनके नाम राजस्व रेकार्ड में आ गये मगर जिन लोगों को जरिये ईकरारनामा विकय विकय की गई है उन लोगों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हैं। जिन लोगों को प्रार्थीगण द्वारा जरिये ईकरारनामा भूमि विकय की गई थी उन लोगों के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में चले आ रहे हैं मगर प्रार्थीगण का कोई कब्जा काश्त व हिस्सा नहीं है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 गलत एवं झूठ लिखी होने से लिखे अनुसार स्वीकार नहीं है अस्वीकार की जाती है। लेख है कि प्रार्थीगण द्वारा वर्णित खसरान भूमि में अपनी हिस्सा कृषि भूमि को अलग–अलग समय में जरिये बैनामा तथा ईकरारनामा विकय की जा चुकी है। प्रार्थना पत्र में अंकित प्रार्थीगण के नाम हिस्सा भूमि सिर्फ राजस्व रेकार्ड में ही दर्ज है मौका पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त प्रार्थीगण का नहीं है। अप्रार्थी सं. 1 मुश्ताक खां शान्तिप्रिय व्यक्ति है। प्रार्थीगण अपने नाम राजस्व रेकार्ड में नाम होने की आड़ में मुश्ताक खां की हिस्सा कृषि भूमि को बेचना चाहते हैं।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 गलत एवं झूठ लिखी होने से लिखे अनुसार स्वीकार नहीं है अस्वीकार की जाती है। लेख है कि प्रार्थीगण द्वारा वर्णित खसरान भूमि में अपनी हिस्सा कृषि भूमि को अलग–अलग समय में जरिये बैनामा तथा ईकरारनामा विकय की जा चुकी है। जिनकी फोटो प्रतियां संलग्न की जा रही हैं। प्रार्थना पत्र में अंकित प्रार्थीगण के नाम हिस्सा भूमि सिर्फ राजस्व रेकार्ड में ही दर्ज है मौका पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त प्रार्थीगण का नहीं है। जब प्रार्थीगण की किसी प्रकार की कृषि भूमि पर हिस्सा व कब्जा काश्त ही नहीं है तो किस का खाता विभाजन करवाना चाहते हैं। भूमि में अपनी हिस्सा कृषि भूमि को अलग–अलग समय में जरिये बैनामा तथा ईकरारनामा विकय की जा चुकी है। प्रार्थना पत्र में अंकित प्रार्थीगण के नाम हिस्सा भूमि सिर्फ राजस्व रेकार्ड में ही दर्ज है मौका पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त प्रार्थीगण का नहीं है। जब प्रार्थीगण की किसी प्रकार की कृषि भूमि पर हिस्सा व कब्जा काश्त ही नहीं है ऐसी स्थिति में उनके पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला कानूनन नहीं बनता है व न ही किसी प्रकार का सुविधा के सन्तुलन का सिद्धान्त पक्ष में है, इसलिए प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपूर्तिनिय क्षति नहीं होगी, इसके विपरीत अप्रार्थी मुश्ताक खां का वर्णित खसरान भूमि में हिस्सा 66/444 हैक्टेयर 0.1896 राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जिसके मुताबिक अपने हिस्सा कृषि भूमि पर अप्रार्थी मुश्ताक खां का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग सदामत से शान्तिपूर्वक चला आ रहा है। इसलिए अप्रार्थी मुश्तका खां के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला कानूनन बनता है व सुविधा के सन्तुलन का सिद्धान्त पक्ष में है इसलिए अप्रार्थी को अपूर्तिनिय क्षति होगी।

अप्रार्थी सं. 1 ने अपने जवाब के विशेष कथन में अंकित किया कि विवादित खेत खसरा संख्या 551 तादादी 12 बीघा 15 विश्वा व खसरा संख्या 660/586/550 तादादी 9 बीघा 10 विश्वा कुल तादादी 22 बीघा 5 विश्वा रही है जिस खसरान भूमि में प्रार्थीगण के पति–पिता यासीनखां पुत्र अहमदअली खां के हिस्सा में 111 हि0 भूमि राजस्व रेकार्ड के अनुसार आयी थी।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

हिस्सा कृषि भूमि में से 5 हिस्सा (5 विश्वा) तथा रास्ता के लिये दिनांक 12.02.2001 प्रार्थीगण के पति–पिता यासीनखां द्वारा जरिये इकरारनामा याकूबखां पुत्र मुंशीखां जाति कायमखानी निवासी पीथीसर तहसील जिला चूरू को विकय की जाकर कब्जा दखल करवा दिया गया। तत्पश्चात् दिनांक 17.12.2001 को प्रार्थीगण के पति–पिता यासीनखां द्वारा जरिये इकरारनामा करीब 5 (5 विश्वा) कृषि भूमि फूले खां पुत्र मुंशी खां जाति कायमखानी निवासी पीथीसर तहसील जिला चूरू को विकय की जाकर कब्जा दखल करवा दिया गया। यह कि दिनांक 26.02.2009 को प्रार्थिया बतूलबानो द्वारा विवादित खसरान भूमि में से जरिये रजिस्टर्ड बैनामा 10 (10 विश्वा) भूमि जरीना पत्नी शोकत खां जाति कायमखानी निवासी पीथीसर तहसील जिला चूरू को विकय की जाकर कब्जा दखल करवा दिया गया। यह कि दिनांक 07.01.2010 को प्रार्थिया बतूलबानो द्वारा विवादित खसरान भूमि में से जरिये रजिस्टर्ड बैनामा 80 (4 बीघा) भूमि अस्तअली खां पुत्र भादर खां जाति कायमखानी निवासी पीथीसर तहसील जिला चूरू को विकय की जाकर कब्जा दखल करवा दिया गया तथा आवागमन के लिए रास्ता दिया गया।

इस तरह प्रार्थीगण व इनके पति–पिता तथा पुत्र–पुत्रियों, भाई बहिनों द्वारा विवादित खेत खसरा संख्या 551 तादादी 12 बीघा 15 विश्वा व खसरा संख्या 660/586/550 तादादी 9 बीघा 10 विश्वा कुल तादादी 22 बीघा 5 विश्वा में से अपनी 111 हि0 सम्पूर्ण कृषि भूमि को विकय कर दिया गया है। जो कृषि भूमि प्रार्थीगण के पति–पिता द्वारा जरिये इकरारनामा विकय की गई थी व केतागण को आवागमन के लिए रास्ता छोड़ा गया है उसका नामान्तरण नहीं होने के कारण प्रार्थीगण के नाम से राजस्व रेकार्ड में चली आ रही है मगर मौका पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा काश्त उपयोग–उपभोग नहीं है। अतः श्रीमान जी के समक्ष जवाब मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र हर्जा खर्चा सहित खारिज फरमावें।

प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र में जवाब पेश होने पर प्रार्थना पत्र वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहराते हुए जाहिर किया कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम पीथीसर में ख.नं. 551 व 660/586 है जिसमें प्रर्थिनी का 41/3115 हिस्सा व उसके नाबालिग पुत्र का 111/3115 हिस्सा खातेदारी का है। उक्त कृषि भूमि के अन्य खातेदारों एवं प्रार्थिनी द्वारा कुछ भूमि बेची हुई है। उक्त भूमि में एक बाड़ा है जिसकी फोटो हमने प्रस्तुत की है। प्रार्थिनी के पति की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थिनी के पति के समय यह बाड़ा व घर भाई बंटवारे में बतूलबानो के हिस्से में आया था तथा हम आज तक इसको काम में ले रहे हैं। प्रतिवादी सं. 1 मुश्ताक खां प्रार्थिनी का सगा देवर है। उक्त बाड़े की जमीन अत्यन्त कीमती होने से उसकी नीयत में खोट है इसलिए वह इसको जबरन खरीद लेना चाहता है। हमने जो जमीन बेच दी, वह हिस्सा कम हो गया है। वर्तमान में मौके पर हमारी जमीन रिकार्ड में दर्ज जमीन से कम है। इसलिए हमारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थी सं. 1 को पाबन्द फरमावें।

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि वादगत कृषि भूमि कुल तादादी 22 बीघा 5 विश्वा में प्रार्थिनी बतूल के पति यासीन खां का 1/4 हिस्सा था जिसके अनुसार उसके हिस्से में 5 बीघा 11 विश्वा भूमि बनती है। उक्त हिस्से की भूमि में से उसने दिनांक 26.09.2009 को रजिस्टर्ड बेचान से 10 विश्वा भूमि जरीना को बेच दी तो उसके पास 5.01 बीघा भूमि शेष रही। बतूल के 5 पुत्र–पुत्रियां हैं। दिनांक 06.09.2013 को रजिस्टर्ड बैनामा से उन्होंने 4 बीघा भूमि और बेच दी तो उनके पास 1 बीघा शेष

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

है जो प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। उक्त 1 बीघा भूमि में से प्रार्थीगण ने उपरोक्त
को 6 विश्वा का रास्ता दिया है जिसके बाद उनके पास 14 विश्वा भूमि बचती है। उक्त
14 विश्वा में से प्रार्थीगण के पति–पिता यासीन खां द्वारा जरिये इकरारनामा दिनांक 27.12.2001
फूलेखां पुत्र मुंशी खां को 4500 वर्गफीट बेच दी थी तथा 1330 वर्गफीट रास्ता दिया। इस प्रकार
कुल 4 विश्वा 12 विश्वांसी और कम होकर 10 विश्वा भूमि बचती है। जिसमें से यासीन खां द्वारा
दिनांक 12.02.2001 को याकूब खां पुत्र मुंशी खां को 5 विश्वा बेच दी व आने जाने हेतु रास्ता भी
दिया है। इस प्रकार मौके पर प्रार्थीगण के पास जमीन नहीं बची है इसलिए इस दावा व प्रार्थना
पत्र की आड़ में ये मेरी जमीन हड़पना चाहते हैं। इन्होंने जो फोटो पेश किये हैं वो मेरी जमीन की
हैं। मैं बैंक में सर्विस करता हूं। वर्तमान में इनकी रिकार्ड में केवल 1 बीघा जमीन है परन्तु मौके
पर इनकी कोई जमीन नहीं है। धारा 212 के प्रार्थना पत्र के आवश्यक तत्व प्रथम दृष्टया मामला,
सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त को प्रार्थीगण द्वारा प्रदर्शित नहीं किया गया
है। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित भूमि कृषि भूमि नहीं है, ये बाड़ा है फिर ये दावा कैसे लाये जबकि
यह बाड़ा कृषि योग्य भूमि नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से
खारिज फरमाया जावे।

वकील प्रार्थी ने पुनः कथन किया कि भूमि पर रोपी गई पट्टियों पर पुराने समय
से हमारा नाम लिखा हुआ है। अप्रार्थी ने जो रास्ता बताया है उस रास्ते से सभी लोग आते जाते
हैं। उक्त भूमि भाई बंटवारे में बंटी है तथा रास्ता शामलाती व नक्शे में पेश है। उक्त रास्ता पूरी
जमीन में से है तथा सबका बराबर बराबर है। इसलिए हमारी भूमि शेष है। अतः प्रार्थना पत्र
स्वीकार किया जावे। वकील अप्रार्थी ने भी पुनः कथन किया कि ये उक्त वादगत कृषि भूमि में
अपनी भूमि शेष होना बता रहे हैं परन्तु इन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में उक्त शेष भूमि पर अपना
कब्जा दर्शित नहीं किया है। इनका कोई कब्जा वर्तमान में मौजूद नहीं है इसलिए प्रार्थना पत्र
खारिज किया जावे।

प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर
पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। छाया प्रति
जमाबन्दी व गिरदावरी सम्वत् 2070 से 2073 ग्राम पीथीसर के ख.नं. 551 व 660/586 कुल
तादादी 5.6277 हैक्टेयर में अन्य सह खातेदारों के साथ प्रार्थी सं. 1 का 41/3115 हिस्सा, प्रार्थी
सं. 2 का 111/3115 हिस्सा एवं अप्रार्थी सं. 1 का 66/445 हिस्सा खातेदारी का दर्ज रिकार्ड है।
तहसीलदार द्वारा दिनांक 08.09.17 को जारी प्रमाण पत्र में प्रार्थीगण का उपरोक्त हिस्सा दर्शित
है। छाया प्रति विकय पत्र दिनांक 26.02.2009 देखा गया जिसके अनुसार ग्राम पीथीसर के ख.नं.
281 तादादी 26 बीघा 18 विश्वा व ख.नं. 390 तादादी 26 बीघा 19 विश्वा कुल तादादी 83 बीघा
17 विश्वा कृषि भूमि में से बतूलबानो ने अपने 111/7 हिस्सा में से 70/7 हिस्सा भूमि जरीना
धर्मपत्नी शोकत खां को विकय किया है। छाया प्रति विकय पत्र दिनांक 06.01.2010 के अनुसार
जैतून धर्मपत्नी अहमदअली खां ने अपने 1/15 हिस्सा में से 1/4 हिस्सा व समस्त कृषि भूमि में
से 1/60 हिस्सा एवं बतूलबानो धर्मपत्नी स्व. यासीनखां, वलिया नाबालिग अलताफ खां पुत्र
यासीनखां बहैसियत वलिया के, सलीम खां, परवीनबानो, गुलशनबानो, रहमतबानो, नसरतबानो
पुत्र–पुत्रियां स्व. यासीन खां ने अपने अपने 1/105, 1/105 हिस्सा समस्त को जरीनाबानो
धर्मपत्नी जाकिरअली खां को विकय किया है। छाया प्रति विकय पत्र दिनांक 06.09.2013 के
अनुसार वादगत कृषि भूमि ख.नं. 551 व 660/586/550 कुल तादादी 22 बीघा 5 विश्वा में से
सलीम खां, परवीनबानो, गुलशनबानो, रहमतबानो, नसरतबानो पुत्र–पुत्रियां स्व. यासीन खां ने अपने
अपने सम्पूर्ण 666/42, 666/42 हिस्सा को अस्तअली खां पुत्र भादरखां को विकय किया है।

उपखण्ड अधिका
चूरू

अप्रार्थी सं. 1 की ओर से पेश छाया प्रति इकरारनामा दिनांक 12.02.2001 के अनुसार यासीन खां पुत्र अहमदअली खां ने अपने हिस्से की खातेदारी भूमि में से 1/4 बीघा भूमि (4560 वर्गफुट) फूले खां पुत्र मुंशी खां को विक्रय किया है। छाया प्रति इकरारनामा दिनांक 12.02.2001 जो दिनांक 27.12.2001 को नोटेरी से प्रमाणित करवाया गया है, के अनुसार यासीन खां पुत्र अहमदअली खां ने अपने हिस्से की खातेदारी भूमि में से 4560 वर्गफुट भूमि याकूब खां पुत्र मुंशी खां को विक्रय किया है।

पत्रावली एवं दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट परिलक्षित है कि वादगत कृषि भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 के साथ अन्य खातेदारों की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि है जिसका अभी तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि में नियमानुसार प्रत्येक खसरे की प्रत्येक हिस्सा भूमि पर कब्जा काश्त सह खातेदारों का माना जाता है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अपने हिस्से की भूमि अपने कब्जे में बताते हुए ता फैसला दावा अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अनुतोष चाहा है। यह भी स्पष्ट है कि वादगत कृषि भूमि में वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रार्थीगण का कुल हिस्सा 152/3115 है जिसके अनुसार उनकी भूमि 1 बीघा के लगभग बनती है जबकि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा पेश इकरारनामों के अनुसार प्रार्थीगण के पति–पिता यासीन खां द्वारा उक्त 1 बीघा भूमि में से आधा बीघा भूमि जरिये इकरारनामों के अन्य व्यक्तियों को बेच दी है तथा केताओं को आने जाने हेतु रास्ता भी दिया है जिससे यही परिलक्षित होता है कि वर्तमान में प्रार्थीगण के पास नाम मात्र की भूमि बची है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में उक्त इकरारनामों द्वारा विक्रय की गई भूमि का कोई उल्लेख नहीं कर वास्तविक तथ्यों को भी छुपाया है। प्रार्थीगण के पति–पिता यासीन खां द्वारा इकरारनामों के आधार पर विक्रय की गई भूमि का नामान्तरण दर्ज नहीं होने से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के नाम कमशः 41/3115 व 111/3115 हिस्सा अंकित चला आ रहा है जबकि वास्तव में मौके पर कोई कब्जा काश्त प्रार्थीगण का नहीं है, जैसा कि अप्रार्थी सं. 1 ने अपने जवाब व बहस में जाहिर किया है। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया है कि हमारा बाड़ा है जिस पर अप्रार्थी सं. 1 कब्जा करना चाहता है तथा बेचना चाहता है जबकि प्रार्थना पत्र में उक्त भूमि को कृषि भूमि बताया है जो तथ्य एक दूसरे के विरोधाभाषी प्रतीत होते है। अप्रार्थी सं. 1 ने अपने जवाब व बहस में कब्जा करने के तथ्य से इन्कार करते हुए यह कथन किया है प्रार्थीगण अपनी समस्त खातेदारी कृषि भूमि जरिये विक्रय पत्र व इकरारनामा बेच चुके हैं जिससे वर्तमान में वादगत कृषि में उनका कोई हिस्सा शेष नहीं बचा है तथा ना ही मौके पर कोई कब्जा है। प्रार्थीगण अपने खातेदारी में दर्ज नाम की आड़ में उसकी खातेदारी की भूमि हड़पना चाहते हैं। प्रार्थी ने बाड़े की भूमि को कृषि भूमि बताकर गलत आधार पर दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि वादगत कृषि भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 के साथ अन्य खातेदारों की सह खातेदारी की संयुक्त कब्जा काश्त की कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थीगण का कमशः 41/3115 व 111/3115 हिस्सा दर्ज रिकार्ड अवश्य है परन्तु वास्तव में कितना हिस्सा शेष बचा हुआ है, यह स्पष्ट नहीं होता। जहां प्रश्नगत भूमि में प्रार्थीगण का वास्तविक हिस्सा स्पष्ट नहीं है, ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं होता। संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि में किसी भी सह खातेदार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से उसके खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की भी सम्भावना है। इसलिए सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में न होकर अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष का बनता है। जहां तक प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों का

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

है, प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों का विनिश्चय तो इस प्रकार के प्रार्थना पत्र के आधार पर न होकर उनके मूल दावा में पर्याप्त साक्ष्य, सबूत, सुनवाई एवं बहस के बाद गुणावगुण के आधार पर तय होने हैं। संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि में जहां प्रार्थीगण की हिस्सा भूमि स्पष्ट नहीं है, वहां किसी सह खातेदार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया यह न्यायालय ना तो उचित समझता है तथा ना ही पत्रावली पर कोई विधिसम्मत आधार मौजूद है। इस स्तर पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रमाणित नहीं होने से अस्वीकार किया जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचना के आलोक में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 28.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू
उपखण्ड अधिकारी
चूरू